भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2684
दिनांक 16 मार्च, 2026

प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 और एक राष्ट्र-एक गैस ग्रिड

2684 # **श्री मिथलेश कुमारः**
श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री बृज लालः
श्री अमर पाल मौर्यः
श्री नारायण कोरागप्पाः
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः
श्री दीपक प्रकाशः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री नरहरी अमीनः
श्री बाबू राम निषादः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अभाव प्रमाण पत्र (डिप्राइवेशन डिक्लेरेशन) की शुरुआत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन गरीब परिवारों के नामांकन की प्रक्रिया किस प्रकार सरल बनाया है, जिन्हें पहले इस योजना से बाहर रखा गया था;
(ख) क्या एकीकृत पाइपलाइन टैरिफ (एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक शुल्क) ने विशेषकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत की औद्योगिक इकाइयों के लिए क्षेत्रीय गैस मूल्य असमानताओं को सफलतापूर्वक कम किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच औसत वार्षिक एलपीजी सिलेंडर रिफिल खपत का आकलन किया है; और
(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे लाभार्थियों में रिफिल लेने की दर बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): पीएमयूवाई को मई, 2016 में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमानत मुक्त एलपीजी कनेक्शन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पीएमयूवाई के प्राथमिक रुप से लागू प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक आवेदक को केवाईसी आवेदन पत्र के साथ एक 14-बिंदुओं वाला घोषणा पत्र प्रस्तुत करना ज़रूरी था, जो एसईसीसी 2011 के अपवर्जन मानदंडों से प्राप्त किया गया था। हालाँकि 14-बिंदुओं वाला घोषणा पत्र पात्रता की एक अलग श्रेणी थी, फिर भी इसे आवेदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सभी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत करना, यहाँ तक कि दूसरी श्रेणियों के लिए भी, आवश्यक था और इसलिए पात्रता प्रक्रिया में इसमें दोहराव था।

तदनुसार, 14-बिंदुओं वाले घोषणा पत्र की समीक्षा की गई और पीएमयूवाई योजना के हाल ही में स्वीकृत किए गए विस्तार में इसे एक संशोधित 'वंचना घोषणा पत्र' से बदल दिया गया है, जिसमें 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं। दोहराव को कम करने, समावेशिता को बढ़ाने और प्रक्रिया को

सरल बनाने के उद्देश्य से, इस चरण में पात्रता मानदंडों को एकल श्रेणी—वंचना संबंधी घोषणा पत्र जमा करने के आधार पर गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओ तक के लिए सरल बना दिया गया है ।

(ख) और (ग): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने टैरिफ ज़ोन को तीन से घटाकर दो करके 'एकीकृत टैरिफ' को युक्तिसंगत बनाया है और ज़ोन-1 (300 किलोमीटर तक) के लिए 54 रुपये/ एमएमबीटीयू और ज़ोन-2 (300 किलोमीटर से आगे) के लिए 102.86 रुपये/ एमएमबीटीयू के परिवहन टैरिफ अधिसूचित किए हैं, जो दिनांक 01.01.2026 से लागू है। यह सुधार पूरे देश में प्राकृतिक गैस तक पहुँच में सामर्थ्य और समानता को बेहतर बनाता है जिसमें पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत की औद्योगिक इकाइयाँ भी शामिल हैं।

(घ): हाँ, पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की नियमित निगरानी पीपीएसी की खपत रिपोर्टे, 'कॉमन एलपीजी आँकड़ा प्लेटफ़ॉर्म' (सीएलडीपी) की माध्यम से की जाती है और तेल विपणन कंपनियों के साथ इसकी समीक्षा की जाती है। पीएमयूवाई लाभार्थियों की वर्तमान 'प्रति कनेक्शन खपत' (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) 4.83 रिफिल है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के 3.68 रिफिल से काफी बेहतर हुई है।

(ड़): सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए आईवीआरएस, एसएमएस, व्हाट्सएप,डिस्ट्रीब्यूटर कॉल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओएमसी ऐप्स और वेब पोर्टल के ज़रिए आसानी से रिफिल बुक करने की सुविधा, झंझट रहित एलपीजी पहुंच; 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर से 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर स्विच करने का विकल्प; 5 किलोग्राम वाले डबल बॉटल कनेक्शन; एलपीजी पंचायतें; और जागरूकता अभियान जैसे कई कदम उठाए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के 9 रिफिल तक (और 5 किलोग्राम वाले कनेक्शन के लिए उसी अनुपात में यथानुपात) प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300/- रुपये की लक्षित राजसहायता दे रही है।
